

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल०-22/2026-

/स्वा०,

पटना, दिनांक :

डा० सूर्या किरण, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अकबरपुर, नवादा द्वारा प्रथम संतान के प्रसव हेतु दिनांक-01.03.2026 से 28.08.2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों का उपभोगित/उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-22/2026-

607(2)

पटना, दिनांक 20/3/26

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अकबरपुर, नवादा/कोषागार पदाधिकारी, नवादा/डा० सूर्या किरण, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अकबरपुर, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/3/26
सरकार के उप सचिव।
2